

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-04/2025

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० शशि किरण, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर-BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक-09.10.2024 के प्रभाव से द्वितीय सतान हेतु कुल-180 दिनो के लिए मातृत्व अवकाश पर प्रस्थान करने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

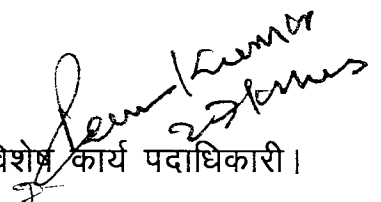
ज्ञापांक :-17/विविध- 01-04/2025-196(17) पटना, दिनांक :- 27/02/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० शशि किरण, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर-BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।